नियमावली

1.संस्था का नाम – **शिवांगी जन कल्याण समिति**

2.संस्था का पता – 51/216 शान्ती कुन्ज वेस्ट अर्जुन नगर आगरा

3.संस्था का कार्यक्षेत्र – **समस्त उत्तर प्रदेश होगा ।**

4.संस्था का उद्देश्य – **संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे –**

5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग –

1.संरक्षक सदस्य – जो सज्जन इस संस्था को 1001/– रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

2. आजीवन सदस्य – जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप मे देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3.साधारण सदस्य – जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 251/–रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4.विशिष्ट सदस्य – ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन,मन,धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा ।परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति –

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग – 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

8. साधारण सभा – गठन –

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा।

..2 पर

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया – संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था – संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)– संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टैंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व –संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही सचिव अथवा उसकें द्वारा अधिकत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख – 1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– एजैण्डा रजिस्टर 4– स्टाक रजिस्टर 5– कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन – यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक– 3.3.2005 सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

14.5.05

Mithlesh

Vipin